उत्तरांचल शासन
ग्राम्य विकास विभाग
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा
देहरादून

कार्यालय ज्ञाप

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य में माह–नवम्बर, 2004 तक कुल 18071 समूह गठित किये जा चुके हैं, जिसके सापेक्ष 8792 समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया है तथा 3828 समूहों की द्वितीय ग्रेडिंग हो चुकी है किन्तु 2717 समूहों को ही वित्त पोषित कर स्वरोजगार में स्थापित किया गया है, जोकि कुल गठित समूहों का 15.04 प्रतिशत है।

अतः समूह गठन के सापेक्ष आर्थिक क्रियाकलाप स्थापित करने की धीमी गति को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं को स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन में सम्मिलित किया जाये –

1. समूह गठन तथा समूह सशक्तिकरण हेतु अधिक से अधिक संख्या में स्वयं सेवी संस्थाओं तथा व्यक्तिगत सुगमकर्ताओं को सम्मिलित किया जाये जिससे समूह गठन उपरान्त चिरन्तर संचालित हो सके। उपरोक्त स्वयं सेवी संस्थाओं तथा व्यक्तिगत सुगमकर्ताओं को स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजागर योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार नियुक्त किया जाये तथा उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाये जिससे वे सक्षम रूप से कार्य कर सकें।
2. समूहों हेतु अधिक से अधिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जायें जिसमें समूहों को ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कराया जाये जहाँ पर समूह का कार्य सुचारू रूप से चल रहा हो। भ्रमण में यह ध्यान दिया जाये कि समूह के सदस्य एक दूसरे से अधिक से अधिक चर्चा कर सीख सकें तथा प्राप्त अनुभवों को अपने उद्यमों में उपयोग कर सके। उक्त भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रशिक्षण मद में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है।
3. विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी तथा पंचायतीराज संस्थाएं जोकि स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना क्रियान्वयन में सम्मिलित हों, के भी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें विकासखण्ड स्तर से आ रही मांग के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जायें तथा उचित प्रशिक्षण हेतु जनपद/राज्य स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किये जायें।
4. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के सशक्त मूल्यांकन हेतु मासिक प्रगति रिपोर्ट में संलग्न प्रारूप अनुसार घटक सम्मिलित किये जाये जिसे सभी मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित किया जाये ताकि उक्त प्रारूप में सम्मिलित घटकानुसार रिपोर्ट उपलब्ध हो सके। उक्त प्रारूप अनुसार भारत सरकार को भी मासिक रिपोर्ट प्रेषित की जायें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव

संख्याः 1205/पी0एम0यू0ग्रा0वि0/2004–05 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपिः

1. संयुक्त सचिव (एसजीएसवाई), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास।
3. उपायुक्त (कार्यक्रम), ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तरांचल, पौड़ी।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।

आज्ञा से

(पी0 एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव

NIC – 911
911

मासिक रिपोर्ट

क.सं.	जनपद	संस्था / समन्वयक का नाम	जागरूकता कार्यक्रम (आच्छादित गांवों की संख्या)		कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम		कुल प्रतिभागियों की संख्या		समूह की संख्या	कुल कियाशील समूहों की संख्या	रिवालविंग फण्ड उपलब्ध समूहों की संख्या	आर्थिक गतिविधियां कर रहें समूहो की संख्या
			विभागीय कर्मचारियों की संख्या	समन्वयक / सुगमकता की संख्या	समूह सम्बन्धी	कौशल / उद्यमिता विकास सम्बन्धी	समूह सम्बन्धी	कौशल / उद्यमिता विकास सम्बधी				
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
18.												
19.												
20.												

13120400 5.pdf